न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 139/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सज्जनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.12.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 879/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 33/2017 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट अपने व्यवसायिक कार्यवश बैंगलूरू में निवास करता है तथा मौके पर अपीलाण्ट का किसी प्रकार से कब्जा नही है। अपीलाण्ट अपने पारिवारिक कार्यवश गांव आया, तो पुलिस द्वारा जैर अपील आदेश की पालना में उसे गिरफ्तार कर दिया गया, तब अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। इस बाबत अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें जिला कलक्टर पाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। इससे व्यथित होकर यह

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसे निरूद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दुर्दशा हो जायेगी। वर्तमान में मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है तंथा भूमि खाली पडी है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सज्जनसिंह पुत्र भीमसिंह कौम राजपूत द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील नही हुआ तथा न ही तामील कुनिन्दा द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी की, जिससे यह साबित हो सके कि जिससे उक्त नोटिस की तामीली करवाई गई है, वह परिवार का व्यस्क सदस्य है अथवा अन्य ? इस प्रकार करवाई गई तामीली को न्यायोचित नही माना जा सकता है। नियत तारीख पेशी दिनाक 16.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल उपस्थित होना अंकित किया, जबकि आदेशिका पर गैरसायल के कोई हस्ताक्षर अथवा उपस्थिति बाबत साक्ष्य उपलब्ध नही है। इसके पश्चात जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को पश्चातवर्ती अतिक्रमण की संज्ञा देने हेतु प्रावधित नियमों की किसी भी रूप में पालना नही की तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्यों को परीक्षित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न फर्द बेदखली पर भी अतिक्रमी के हस्ताक्षर नही है। जैर अपील पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध नही किये गये तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य परिक्षित हुआ, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत राजकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रावधान विहित है तथा इसके अतिरिक्त अतिक्रमी साबित होने पर राजस्थान भू राजस्व (अतिचारियों की बेदखली) नियम 1975 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना प्रावधित है। हस्तगत प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही होता है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि वर्तमान में प्रकरण में वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है तथा मौके पर भूमि खाली पडी है तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही है। अपीलाण्ट द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है तथा न ही वह भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेगा। इससे अतिक्रमण करने की प्रवृति समाप्त होगी तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के मूल उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इस परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्ट का जैर अपील आदेश के जरिये तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने सम्बन्धी आदेश को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 879/2016 सरकार बनाम सज्जनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2016 में तीन माह के सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है तथा शेष जुर्माना एवं बेदखली बाबत आदेश यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली